खण्ड–32, अंक–01
मंगलवार, 05 आश्विन, शक संवत्, 1933
(27 सितम्बर, 2011 ई0)

उत्तराखण्ड विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(द्वितीय विधान सभा)
(द्वितीय सत्र, 2011)

(खण्ड 32 में 05 अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा, सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2013

मूल्य

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थिति	"क"
राष्ट्रीय–गीत	1
विपक्ष द्वारा पिछले चार वर्षों में हुए घोटालों की जाँच किये जाने की मांग	1–3
प्रश्नोत्तर	3–33
नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाएं	34
मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप मासी, जालली एवं मछोंड (सल्ट) जनपद अल्मोड़ा में महाविद्यालय न खुल पाने के परिणामस्वरूप व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	34
प्रदेश में शिक्षा विभाग में एल0टी0 अध्यापकों को एक मण्डल से दूसरे मण्डल में स्थानान्तरित होने पर सीनियरटी खत्म होने की प्रक्रिया से अध्यापकों में रोष के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	34
हरिद्वार जनपद में ए0डी0बी0 योजनान्तर्गत प्रथम चरण, तृतीय चरण एवं चतुर्थ चरण में सड़कों का चयन न किये जाने से व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	35
उत्तराखण्ड लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा 12 की उपधारा (7) के अनुसार लोक आयुक्त उत्तराखण्ड के वर्ष 2006, 2007, 2008, 2009 एवं 2010 तक का प्रतिवेदन, स्पष्टीकरण ज्ञापन (सदन के पटल पर रखा गया)	35
उत्तराखण्ड विधान सभा के वर्ष 2011 के प्रथम सत्र में उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य–संचालन नियमावली, 2005 के नियम–300 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण (सदन के पटल पर रखा गया)	36
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 90(3) के अनुसार उत्तराखण्ड सूचना प्रौद्योगिकी (परिवहन विभाग में इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड दाखिल, सृजित एवं जारी करने का यूजर चार्ज) नियमावली, 2011 (सदन के पटल पर रखा गया)	36

विषय	पृष्ठ–संख्या
उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2011 (अधिनियमित होने की घोषणा) ...	36
उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2011 (अधिनियमित होने की घोषणा) ...	37
हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई) (संशोधन) विधेयक, 2011 (अधिनियमित होने की घोषणा)	37
उत्तराखण्ड वन विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2011 (अधिनियमित होने की घोषणा)	37
उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2011 (अधिनियमित होने की घोषणा)	37
उत्तराखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 (अधिनियमित होने की घोषणा)	38
उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन (संशोधन) विधेयक, 2011 (अधिनियमित होने की घोषणा)	38
उत्तराखण्ड जल संभरण सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2011 (अधिनियमित होने की घोषणा)	38
उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डी (विकास एवं विनियमन) विधेयक, 2011 (अधिनियमित होने की घोषणा)	38
उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2011 (अधिनियमित होने की घोषणा)	39
उत्तराखण्ड राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 (अधिनियमित होने की घोषणा)	39
उत्तराखण्ड ग्राफिक एरा पर्वतीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2011 (अधिनियमित होने की घोषणा)	39
उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 (अधिनियमित होने की घोषणा)	39
उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2011 (अधिनियमित होने की घोषणा)	40

विषय	पृष्ठ–संख्या
उत्तराखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2011 (अधिनियमित होने की घोषणा)	40
उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार (संशोधन) विधेयक, 2011 (अधिनियमित होने की घोषणा)	40
उत्तराखण्ड कराधान तथा भू–राजस्व विधि (संशोधन) विधेयक, 2011 (अधिनियमित होने की घोषणा)	40
जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत ग्राम सभा माणी धामी के तोक बसानी मल्ला तिरछा में पीने के पानी की समस्या के समाधान के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित) ...	41
जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड धारचूला की ग्राम सभा दूतीबगड़ में सिंचाई पम्पिंग योजना का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	41
जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड धारचूला के अन्तर्गत ग्राम सभा बलुवाकोट का विभाजन कर दो ग्राम सभा बनाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	41
जनपद हरिद्वार के रुड़की विधान सभा के अन्तर्गत रुड़की शहर में स्थित सब्जी मण्डी की इमारत को बहुमंजिला करने/मण्डी को विकसित किये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित) ...	42
उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2011 (पुर:स्थापित)	42
उत्तराखण्ड विशेष न्यायालय विधेयक, 2011 (पुर:स्थापित)	43
उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार विधेयक, 2011 (पुर:स्थापित)	43
कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश (स्वीकृत)	44
नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं	44
नत्थी क	45–46

'क'

उपस्थिति

1–श्री अजय टम्टा
2–श्री अरविन्द पाण्डे
3–श्री अनिल नौटियाल
4–श्रीमती अमृता रावत
5–श्रीमती आशा
6–श्री ओम गोपाल
7–श्री करन माहरा
8–सुश्री कैरन मेगर
9–श्री किशोर उपाध्याय
10–श्री केदार सिंह रावत
11–श्री केदार सिंह फोनिया
12–श्री खजान दास
13–श्री खड़क सिंह बोहरा
14–श्री गगन सिंह
15–श्री गणेश जोशी
16–श्री गोपाल सिंह राणा
17–श्री गोपाल सिंह रावत
18–श्री गोविन्द लाल
19–श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल
20–श्री गोविन्द सिंह बिष्ट
21–श्री चन्दन राम दास
22–श्री जोगा राम टम्टा
23–श्री जोत सिंह गुनसोला
24–हाजी तसलीम अहमद
25–श्री तिलक राज बेहड़
26–श्री दिनेश अग्रवाल
27–श्री दिवाकर भट्ट
28–श्री दिवान सिंह
29–श्री नारायण पाल
30–श्री पुष्पेश त्रिपाठी
31–श्री प्रकाश पन्त
32–कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
33–श्री प्रीतम सिंह
34–श्री प्रेम चन्द अग्रवाल
35–श्री प्रेमानन्द महाजन
36–श्री बलवन्त सिंह भौर्याल
37–श्री बलवीर सिंह नेगी
38–श्री बिशन सिंह चुफाल
39–श्री बंशीधर भगत
40–श्री बृज मोहन कोटवाल
41–श्री शेर सिंह गढ़िया
42–मे0ज0(अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए0वी0एस0एम0
43–श्री मदन कौशिक
44–श्री मनोज तिवारी
45–श्री मयूख सिंह
46–श्री महेन्द्र सिंह माहरा "मद्दू भाई"
47–श्री मातबर सिंह कण्डारी
48–श्री कुलदीप कुमार
49–श्री यशपाल बेनाम
50–मौ0 यशवीर सिंह
51–श्री रणजीत रावत
52–डा0 रमेश पोखरियाल "निशक"
53–श्री राजकुमार
54–श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी
55–श्री राजेश उर्फ राजेश जुवांठा
56–श्रीमती विजया बड़थ्वाल
57–श्री विजय सिंह (गुड्डू पंवार)
58–श्रीमती वीना महराना
59–श्री शहजाद
60–डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल
61–श्री शैलेन्द्र सिंह रावत
62–श्री सुरेन्द्र राकेश
63–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
64–श्री सुरेश चन्द जैन
65–डा0 हरक सिंह रावत
66–श्री हरभजन सिंह चीमा
67–श्री हरिदास
68–श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

मंगलवार, दिनांक 27 सितम्बर, 2011 ई0

(विधान सभा का कार्य सभा-मण्डप, देहरादून में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री हरबंस कपूर के सभापतित्व में राष्ट्रीय गीत "वन्दे मातरम" के साथ आरम्भ हुआ)

राष्ट्रीय गीत

श्री अध्यक्ष-

आज की कार्यवाही "वन्दे मातरम" से आरम्भ की जाती है।

<u>वन्दे मातरम्</u>

वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।।

सुजलाम्।

सुफलाम्।

मलयज शीतलाम्।

शस्य श्यामलाम्।

मातरम्। वन्दे मातरम्।।

शुभ्र-ज्योत्सना-पुलकित-यामिनीम्

फुल्ल-कुसुमित-द्रुमदल-शोभिनीम्

सुहासिनीम

सुमधुर भाषिणीम्

सुखदाम्

वरदाम्

मातरम्। वन्दे मातरम्।।

विपक्ष द्वारा पिछले चार वर्षों में हुए घोटालों की जाँच किये जाने की मांग

श्री अध्यक्ष-

कृपया आसन ग्रहण करें।

(माननीय नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य "वैल" में आकर कागज के बैनर लहराते हुए जोर-जोर से अपनी बात को कहने लगे और जोर-जोर से नारे लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) जब तक ''वेल'' में खड़े माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण न कर लें तब तक किसी भी माननीय सदस्य की बात का संज्ञान नहीं लिया जायेगा। (व्यवधान) प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें। (घोर व्यवधान)

(''वेल'' में खड़े माननीय सदस्य पूर्ववत् नारे लगाते रहे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए विशेष न्यायालय का विधेयक माननीय सदन के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है। माननीय सदस्य इससे सम्बन्धित शिकायतों के निस्तारण हेतु न्यायालय में जा सकते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, जितने भी आरोप हैं। उन आरोपों के निराकरण हेतु माननीय सदस्य विशेष न्यायालय में जा सकते है। इंडीविजुवल भी इसमें प्रस्ताव कर सकता है। श्रीमन्, यह प्राविधान भी इसमें कर दिया गया है। (व्यवधान) मान्यवर, हम ऐसा विधेयक लेकर आ रहे है जिसमें इन सारे आरोपों की सुनवाई हो सकती है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण जब तक अपने स्थान पर नहीं चले जाते है, तब तक किसी बात का संज्ञान न लिया जाए।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही 11:30 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

मार्शल, विधान सभा–

मानानीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन 12.00 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

(सदन की कार्यवाही 12.00 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई)

(माननीय नेता प्रतिपक्ष डा0 हरक सिंह रावत को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के समस्त माननीय सदस्य "वेल" में बैठे थे)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

("वेल" में बैठे समस्त माननीय सदस्य खड़े होकर नारे लगाने लगे तथा पोस्टर लहराने लगे और अपनी–अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

किसी भी माननीय सदस्य की बात का संज्ञान न लिया जाए। कृपया आसन ग्रहण करें।

("वेल" में खड़े माननीय सदस्य पूर्ववत् नारे लगाते रहे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही को 12.20 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

जनपद देहरादून में सहस्त्रधारा रोड स्थित आई0टी0 पार्क को विकसित करने व लम्बित सुरक्षा व्यवस्था कार्य पूर्ण करने के सम्बन्ध में

*1–श्री प्रीतम सिंह–

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून में सहस्त्रधारा रोड स्थित आई0टी0 पार्क में अब तक सुरक्षा की समुचित व्यवस्था न करने, साइबर टावर न बनाने तथा आई0टी0 पार्क को पूर्णरूप से विकसित न करने के क्या कारण हैं तथा उक्त कार्य कब तक पूर्ण कर लिए जायेंगे ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट –उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 2005 के नियम–43 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

मुख्यमंत्री [मेजर जनरल (से0नि0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी]—

सहस्त्रधारा रोड स्थित आई0टी0 पार्क में सुरक्षा की समुचित व्यवस्था है तथा इस हेतु 12 सुरक्षाकर्मी उपनल के माध्यम से कार्यरत् हैं। सुरक्षा व्यवस्था हेतु आई0टी0 पार्क में पुलिस चौकी निर्माण हेतु 500 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की गयी है।

आई0टी0 पार्क में दून साइबर टावर का निर्माण जून, 2006 में मै0 सिडकुल–आईडीईबी प्रोजेक्ट कम्पनी प्रा0लि0 (संयुक्त उपक्रम) द्वारा प्रारम्भ किया गया था। इस कार्य को पूर्ण करने का लक्ष्य 01 वर्ष अर्थात् जून, 2007 निर्धारित था, परन्तु संयुक्त उपक्रम द्वारा आई0टी0 क्षेत्र में मंदी के कारण परियोजना का निर्माण कार्य बन्द कर दिया गया। तत्पश्चात् आईडीईबी प्रोजेक्ट द्वारा निर्माण कार्य में अब तक व्यय धनराशि को वापस लेने के अनुरोध के साथ संयुक्त उपक्रम से बाहर निकालने का अनुरोध किया गया। संयुक्त उपक्रम की लीज डीड समाप्त करने हेतु नोटिस जारी कर दिया गया है।

आई0टी0 पार्क को पूर्व में आई0टी0एस0ई0जेड0 के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जा रहा था परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा पर्याप्त अभिरुचि न लिए जाने के कारण भारत सरकार द्वारा 14 जनवरी, 2011 को पुनः डिनोटिफाई (Denotify) करवा दिया गया है तथा इसे अब आई0टी0 पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है।

आई0टी0 पार्क में सड़क, ड्रेनेज एवं विद्युत सम्बन्धित कार्य सिडकुल द्वारा लगभग पूर्ण कर लिए गये है। विद्युत की सुचारू रूप से आपूर्ति हेतु एक विद्युत सब स्टेशन की स्थापना की गयी है। पानी की सुचारू आपूर्ति हेतु 2 पम्प स्टेशनों की स्थापना की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देहरादून में सहस्त्रधारा रोड स्थित आई0टी0 पार्क के विकास हेतु एस0टी0पी0आई0 इन्क्यूबेसन द्वारा चलाई जा रही गतिविधियां व कार्मिकों हेतु आई0टी0 कॉलोनी का निर्माण

*2—श्री प्रीतम सिंह—

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देहरादून में सहस्त्रधारा रोड स्थित आई0टी0 पार्क को पूर्णरूप से विकसित करने के लिए एस0टी0पी0आई0 इन्क्यूबेसन द्वारा क्या–क्या गतिविधियां चलाई जा रही है ?

क्या सरकार पार्क में स्थित इकाइयों को सस्ते रेट पर बिजली उपलब्ध कराने, पार्क को जीरो कट बिजली एरिया घोषित करने तथा कार्मिकों हेतु आई0टी0 कॉलोनी बनाने की कार्यवाही करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

मेजर जनरल (से०नि०) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

एस०टी०पी०आई०, आई०टी०/आई०टी०ई०एस० उद्यमियों को प्रेरित करने हेतु आई०टी० पार्क में इनक्यूबेसन सुविधा, डाटाकॉम सुविधा एवं आई०टी० पार्क इनक्यूबेसन सेन्टर में स्थित उद्योगों के लिए स्टेट्युटरी सेवायें प्रदान करता है। आई०टी० पार्क में एस०टी०पी०आई० के 13 इनक्यूबेसन ग्राहकों का कार्य चल रहा है। आगामी उद्यमियों हेतु एस०टी०पी०आई० द्वारा नये भवन निर्माण की योजना है। एस०टी०पी०आई० के साथ 54 स्टेट्युटरी कम्पनियां पंजीकृत हैं जिनका कारोबार पिछले साल लगभग ₹ 200 करोड़ का रहा।

आई०टी० पार्क में कार्यरत कार्मियों हेतु आई०टी० कॉलोनी बनाने की योजना के तहत 14 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की गई है जिसमें कार्य प्रगति पर है। अन्य के सम्बन्ध में वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देहरादून में सहस्त्रधारा रोड स्थित आई०टी० पार्क हेतु अर्जित भूमि व स्थापित उद्योगों की संख्या व वर्ष 2009 से 2011 तक उद्योग स्थापित करने की कार्यवाही

*3–श्री प्रीतम सिंह–

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देहरादून में सहस्त्रधारा रोड स्थित आई०टी० पार्क के लिए कुल कितनी भूमि अर्जित की गयी है ?

तथा उक्त भूमि में अब तक कितने आई०टी० उद्योग स्थापित हो चुके हैं।

और कितने उद्योगों को स्थापित करने की कार्यवाही वर्ष 2009–10 तथा 2010–11 में की गयी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

मेजर जनरल (से०नि०) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी–

सहस्त्रधारा रोड स्थित आई०टी० पार्क हेतु कुल 67 एकड़ भूमि अर्जित की गई है।

सिडकुल द्वारा विकसित किये गये आई०टी० पार्क में अब तक कुल 22 उद्योगों को भूमि आवंटित की गई है जिनमें से 5 उद्योग स्थापित हो चुके है तथा 8 उद्योग निर्माणाधीन हैं।

आई०टी० पार्क सिडकुल में वर्ष 2009 में पांच, वर्ष 2010 में एक तथा वर्ष 2011 में तीन औद्योगिक इकाइयां स्थापित किए जाने हेतु भूमि आवंटित की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ में निवास कर रहे नेपाली/बिहारी मूल के पंजीकृत मतदाता।

*4–श्री मयूख सिंह–

क्या निर्वाचन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में कितने नेपाली/बिहारी मूल के मतदाता पंजीकृत है ?

क्या उक्त मतदाता स्थायी रूप से पिथौरागढ़ में निवास करते है ? यदि नहीं, तो नेपाली मूल के लोगों को मतदाता सूची में पंजीकृत किये जाने का क्या आधार है ?

क्या सरकार द्वारा बिहारी मूल के लोगो से उनके गृह जनपद की मतदाता सूची से उनके नाम कटवाने का प्रमाण–पत्र लिया गया था ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

क्या सरकार उक्त सम्पूर्ण प्रकरण की जाच कराकर सदन के पटल पर रखेगी ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

निर्वाचक नामावली में नाम पंजीकृत करने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप–6 के प्रस्तर–4 (iii) एवं (iv) के अनुरूप प्रत्येक आवेदक द्वारा घोषणा की जाती है कि उन्होंने किसी अन्य राज्य की निर्वाचक नामावली मे अपना नाम सम्मिलित करने हेतु आवेदन नही किया है या किसी अन्य विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में उनका नाम पहले से सम्मिलित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जी नहीं।

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2011 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित मा0 सदस्य विधान सभा श्री मयूख महर द्वारा पृच्छित तारांकित प्रश्न–4 के सम्बन्ध में अनुपूरक

1–जिला निर्वाचन अधिकारी, पिथौरागढ़ द्वारा जांचोपरान्त अवगत कराया गया है कि जनपद के चारों विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों में किसी भी नेपाली व्यक्ति का नाम पंजीकृत होना नहीं पाया गया।

2–बिहारी मूल के व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किये जाने के क्रम में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की हस्तपुस्तिका, 2008 के अध्याय–III के बिन्दु संख्या–4 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा–16 एवं धारा–19 में निहित प्राविधानों के अनुरूप कोई भी भारतीय नागरिक, जो उस वर्ष की 01 जनवरी (जैसा कि आयोग द्वारा अर्हता तिथि के रूप में निर्धारित किया गया हो) को 18 वर्ष की

आयु पूर्ण कर चुका हो एवं वह अन्यथा अनर्ह न हो तथा किसी निर्वाचन क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है, उस निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किये जाने के लिए हकदार होगा।

3–बिहारी मूल के लोगों से उनके गृह जनपद की मतदाता सूची से उनके नाम कटवाने के प्रमाण–पत्र के क्रम में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप–6 के प्रस्तर–4 (iii) एवं (iv) में प्रत्येक आवेदक द्वारा घोषणा की जाती है कि उसने किसी अन्य राज्य की निर्वाचक नामावली में अपना नाम सम्मिलित करने हेतु आवेदन नहीं किया है या किसी अन्य विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में उसका नाम पहले से सम्मिलित नहीं है। यदि किसी आवेदक की घोषणा मिथ्या पायी जाती है तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) धारा 31 में निहित प्राविधानों के अनुरूप दण्डनीय होगा।

जनपद चम्पावत के तामली क्षेत्र की पेयजल समस्या के निराकरण हेतु कार्ययोजना।

*5–श्रीमती बीना महराना–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद चम्पावत का तामली क्षेत्र भीषण पेयजल संकट से ग्रसित है ?

यदि हाँ, तो उक्त क्षेत्र की पेयजल समस्या के निराकरण हेतु सरकार द्वारा कोई योजना बनाई गई है ?

यदि हाँ, तो उसका प्रारूप क्या है तथा कब तक कार्य प्रारम्भ किया जाएगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रकाश पन्त–

तामली क्षेत्र भीषण पेयजल संकट से ग्रसित नहीं है, तथापि यह अवश्य है कि क्षेत्रान्तर्गत कतिपय बसावटों में निर्धारित मानकों से कम मात्रा में पेयजल आपूर्ति हो रही है।

जी हाँ।

प्रश्नगत क्षेत्र में पेयजल की समस्या के निराकरण हेतु निम्न कार्यवाही की गयी है अथवा प्रस्तावित है :-

1–पूर्व निर्मित तीन योजनाओं–धरमधार बिरखट, सिम्योरी तथा मटेलाकारी पेयजल योजना के उचित रख रखाव हेतु आवश्यक उपाय किये गये हैं तथा सिम्योरी पेयजल योजना का मरम्मत कार्य प्रगति पर है।

2–क्षेत्र में 06 नग हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये गये हैं।

3–वर्तमान में प्रदेश में स्वैप कार्यक्रम लागू है जो मांग आधारित है। तामली क्षेत्रान्तर्गत आमनी, रियासी बामन गॉव, तारकुली, भण्डार बोरा, डुबर जैगाल, गोरख्याली गूंठ, नीड तल्ली एवं रूईया इस प्रकार कुल 08 ग्राम पंचायतों के 23 तोकों के लिए पेयजल योजना हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर सैक्टर कार्यक्रम के तहत 04 तोकों में क्रियान्वयन चरण माह जुलाई में प्रारम्भ हो चुका है तथा शेष 19 तोको में नियोजन चरण की गतिविधियां अन्तिम चरण में हैं।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश में दैवीय आपदा से वर्ष 2011 में क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं की संख्या व पुनर्निर्माण पर विचार

*6–श्री शेर सिंह गढ़िया–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में दैवीय आपदा के कारण वर्ष 2011 में कुल कितनी पेयजल योजनायें क्षतिग्रस्त हुई है ?

क्या यह सत्य है कि पेयजल योजनाओं के क्षतिग्रस्त होने के कारण प्रदेश के कई क्षेत्रों में पेयजल संकट है ?

यदि हॉ, तो क्या सरकार क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं का पुनर्निर्माण करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रकाश पन्त–

वर्ष 2011–12 में प्रदेश में दैवीय आपदा के कारण कुल 1063 पेयजल योजनायें क्षतिग्रस्त हुई हैं।

जी नहीं।

योजनाओं को अस्थाई रूप से चालू कर पेयजल उपलब्ध कराया गया है।

जी नहीं।

योजनाओं का स्थायी मरम्मत कार्य कराया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

अतारांकित प्रश्न

1–श्री मयूख सिंह–

द्वितीय बुधवार के अतारांकित 4 में स्थाना0।

जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत प्रस्तावित गंगोलीहाट लिफ्ट पेयजल योजना हेतु स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय तथा वर्तमान स्थिति

2—श्री मयूख सिंह—

क्या पेयजल मंत्री बताएंगे कि जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत गंगोलीहाट लिफ्ट पेयजल योजना किस वर्ष प्रस्तावित की गयी थी तथा योजना हेतु कुल कितना धन स्वीकृत किया गया था ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि स्वीकृत धन का कितना भाग व्यय हो चुका है तथा योजना पूर्ण कर जल आपूर्ति शुरू की जा चुकी है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रकाश पन्त—

जनपद पिथौरागढ़ की गंगोलीहाट लिफ्ट पम्पिंग पेयजल योजना वित्तीय वर्ष 2005&06 esa ₹ 1279.445 लाख लागत की स्वीकृत की गयी थी। वर्तमान तक योजना हेतु ₹ 893.045 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

योजना पर माह अगस्त, 2011 तक स्वीकृति के सापेक्ष ₹ 835.848 लाख व्यय किया गया है, जो अवमुक्त धनराशि का 93.59 प्रतिशत है।

योजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है। अतएव जलापूर्ति प्रारम्भ नहीं की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

3—श्री मयूख सिंह—

द्वितीय सोमवार के अतारांकित 11 में स्थानान्तरित।

जनपद पिथौरागढ़ में प्रस्तावित बेस चिकित्सालय हेतु वर्तमान बजट में स्वीकृत धनराशि तथा वन क्षेत्र से मुक्त करायी गई भूमि पर निर्माण कार्य की सम्भावना।

4—श्री मयूख सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ हेतु प्रस्तावित बेस अस्पताल हेतु वर्तमान बजट में कितने धन का प्राविधान किया गया है ?

क्या यह सत्य है कि बेस अस्पताल के लिये मात्र .098 हैक्टेयर भूमि ही वन क्षेत्र से मुक्त करायी गयी है ?

यदि हाँ, तो क्या इस भूमि में अस्पताल का निर्माण सम्भव हो जायेगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र राकेश भगत)–

प्रस्तावित बेस चिकित्सालय हेतु वर्तमान बजट में ₹ 200.00 लाख का प्राविधान है।

जी नहीं। वर्तमान में बेस चिकित्सालय के निर्माण हेतु 0.962 है० वन भूमि विभाग को हस्तान्तरित हुई है।

जी हाँ।

5–श्री मयूख सिंह–

द्वितीय सोमवार के अतारांकित 10 में स्थाना०।

जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत भागीचौरा क्षेत्र हेतु लम्बित लिफ्ट पेयजल योजना का विचाराधीन प्रस्ताव

6–श्री मयूख सिंह–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत भागीचौरा क्षेत्र हेतु चर्मा गाड से लिफ्टिंग पेयजल योजना का प्रस्ताव विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो उक्त योजना की अनुमानित लागत क्या है तथा योजना कब तक प्रारम्भ की जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रकाश पन्त–

जी नहीं।

उक्त योजना शासन में विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद पिथौरागढ़ में प्रस्तावित थरकोट झील योजना की लागत तथा क्रय की गई भूमि

7–श्री मयूख सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में प्रस्तावित थरकोट झील योजना की लागत क्या है ?

क्या विभाग द्वारा इस कार्य हेतु भूमि क्रय की गयी है ?

यदि हाँ, तो कितनी एवं कितने लागत की ?

क्या योजना पूर्व में शिलान्यास किये गये स्थान पर ही बनाई जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई मंत्री (श्री मातबर सिंह कण्डारी)–

जनपद पिथौरागढ़ में प्रस्तावित थरकोट झील योजना की लागत ₹ 2034.823 लाख है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

दिनांक 16–03–2008 को आई0आई0टी0 रुड़की के विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तावित झील स्थल का निरीक्षण करने पर स्थल को अनुपयोगी पाया तथा प्रस्तावित स्थल से 2.00 कि0मी0 डाउन स्ट्रीम में झील बनाना प्रस्तावित किया गया है।

चिन्यालीसौड़ ब्लॉक में बाँध प्रभावित दुकानदारों व दुकान मालिकों को विस्थापन भत्ते व मुआवजा की देय धनराशि के लम्बित निस्तारण प्रकरण

8–श्री केदार सिंह रावत–

क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि चिन्यालीसौड़ ब्लॉक में बाँध प्रभावित सम्पत्ति के किराये पर दुकानदारो को विस्थापन भत्ता दे दिया गया।

और जिन भवनों पर यह दुकाने स्थित थी उनके मालिको को मुआवजा धनराशि अभी भी देय है ?

यदि हाँ, तो इस प्रकार के कितने प्रकरण हैं तथा उन्हें कब तक निस्तारित कर दिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी हाँ।

जी हाँ।

चिन्यालीसौड़ आंशिक डूब क्षेत्र में आर0एल0 835 मी0 के नीचे 63 बेनाप भवन थे, जिनका मूल्यांकन 2007 में किया गया था। धारा–4 की तिथि (वर्ष 2002) के साक्ष्य प्रस्तुत न करने के कारण पुनर्वास निदेशक द्वारा दिनांक 30–03–2007 को 63 बेनाप भवनों के प्रकरण निरस्त कर दिये गये।

29 न0 बेनाप भवन स्वामियों द्वारा शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के निर्देशानुसार मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा नियुक्त सेवानिवृत्त न्यायाधीश व जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित) में शिकायत दर्ज की गयी

श्री, जिसमें से 17 प्रकरण निरस्त, 01 विचाराधीन तथा 11 प्रकरणों की भुगतान हेतु स्वीकृति दी गई, जिसमे से 07 प्रकरणों का भुगतान किया जा चुका है, शेष 04 प्रकरणो को टीएचडीसी इण्डिया लि० से धन प्राप्त होने पर भुगतान किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ हेतु प्रस्तावित आंवलाघाट लिफ्ट योजना की लागत व कार्य आरम्भ

9—श्री मयूख सिंह—

क्या पेयजल मंत्री अवगत है कि जनपद पिथौरागढ़ हेतु आंवलाघाट लिफ्ट पेयजल योजना प्रस्तावित है ?

यदि हाँ, तो उक्त योजना कितनी लागत की व किस मद से प्रस्तावित है और इसके द्वारा कितने क्षेत्र/जनसंख्या को पोषित करने का लक्ष्य रखा गया है व इस पर कब तक कार्य प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री प्रकाश पन्त—

एशियन विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना के ट्रंच–3 के लिए प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद पिथौरागढ़ के पपदेव ग्राम में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय हेतु हस्तान्तरित भूमि तथा भवन निर्माण की प्रगति

10—श्री मयूख सिंह—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि निदेशक समाज कल्याण उत्तराखण्ड हल्द्वानी के पत्रांक/सक/निर्माण 156/2009–10 दिनांक 01–08–2009 के क्रम में जनपद पिथौरागढ के पपदेव ग्राम में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय हेतु भूमि के हस्तान्तरण का कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि हाँ, तो इसमें भवन निर्माण का कार्य कब तक प्रारम्भ किया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह भौर्याल)—

जी नहीं। जनपद–पिथौरागढ के ग्राम–पपदेव मे राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय की स्थापना किए जाने विषयक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, अतः विद्यालय हेतु भूमि हस्तान्तरण तथा विद्यालय के भवन का निर्माण कराए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद चम्पावत मुख्यालय में बस स्टेशन की स्थापना।

11—श्रीमती बीना महराना—

क्या परिवहन मंत्री अवगत हैं कि जनपद चम्पावत मुख्यालय में बस स्टेशन स्थापित नहीं है ?

यदि हाँ, तो मुख्यालय में बस स्टेशन कब तक स्थापित किया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर भगत—

जी हाँ।

जनपद चम्पावत मुख्यालय में बस स्टेशन की स्थापना हेतु लोक निर्माण विभाग चम्पावत के कार्यालय भवन एवं उससे लगी 23 नाली 4 मुट्ठी भूमि परिवहन निगम को निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तावित भूमि यथासमय विभाग को हस्तान्तरित होने पर स्टेशन की स्थापना की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

जनपद चम्पावत अन्तर्गत लोहाघाट नगर क्षेत्र में पेयजल समस्या के निराकरण हेतु पेयजल योजना के प्रस्ताव पर कार्यवाही

12—श्रीमती बीना महराना—

क्या पेयजल मंत्री अवगत है कि जनपद चम्पावत के अन्तर्गत लोहाघाट नगर क्षेत्र में पेयजल का गम्भीर संकट है ?

क्या उक्त समस्या के निराकरण हेतु लिफ्ट पेयजल योजना का प्रस्ताव शासन में लम्बित है ?

यदि हाँ, तो कार्यवाही कब तक पूर्ण कर ली जाएगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रकाश पन्त—

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

मसूरी के सैंट मैरी अस्पताल हेतु वर्ष 2006–07 में स्वीकृत धनराशि तथा अवशेष कार्य पूर्ण करने हेतु योजना।

13–श्री जोत सिंह गुनसोला–

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार ने सैंट मैरी अस्पताल मसूरी के लिये 2006–07 मे कितनी धनराशि स्वीकृत की है तथा उक्त अस्पताल मे अब तक कितना कार्य पूर्ण कर लिया गया है ?

यदि नहीं, तो स्वीकृत योजना का अवशेष कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ?

श्री बंशीधर भगत–

योजना के पुनर्निर्माण हेतु ₹ 459.00 लाख लागत का कार्य अनुमोदित था, जिसके विरुद्ध ₹ 80.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी। सैन्ट मेरी चिकित्सालय का मार्ग अत्यधिक चढ़ाई वाला एवं संकरा होने के कारण अग्रेतर निर्माण कार्य से चिकित्सालय के मुख्य भवन की संरचना प्रभावित होने की सम्भावना के दृष्टिगत अनुमोदित योजना का औचित्य नहीं पाया गया एवं योजनान्तर्गत स्वीकृत आवासीय भवनों का जो कार्य अवशेष रह गया था, उनके लिये अतिरिक्त ₹ 15.00 लाख की धनराशि अवमुक्त करते हुये आवासीय भवनों का अवशेष कार्य पूर्ण करा लिया गया है। इस प्रकार योजनान्तर्गत स्वीकृत अन्य कार्यों को अब नहीं कराया जाना है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में भूमिगत जल प्राप्त करने के लिये ट्यूबवेल/हैण्डपम्प, बोरिंग करने हेतु मानक तथा जल निष्कासन व पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव की रोकथाम हेतु व्यवस्था।

14–श्री मयूख सिंह–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में भूमिगत जल प्राप्त करने के लिए ट्यूबवेल/हैण्डपम्प, बोरिंग करने हेतु कोई मानक/नियम विभाग द्वारा निर्धारित किये गये हैं ?

यदि हाँ, तो क्या ?

क्या मंत्री जी यह भी अवगत हैं कि जल निष्कासन से भूमिगत जल स्तर गिरने से स्थानीय पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ?

यदि हाँ, तो इसकी रोकथाम की क्या व्यवस्था की गयी है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रकाश पन्त–

जी हाँ।

उत्तराखण्ड में भूमिगत जल प्राप्त करने हेतु दो नलकूपों के बीच न्यूनतम 300 मीटर की दूरी एवं एक हैण्डपम्प से दूसरे हैण्डपम्प की दूरी न्यूनतम 75 मीटर रखे जाने का मानक निर्धारित है।

जी नहीं। नियमित दोहन करने की दशा में स्थानीय पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद पौड़ी अन्तर्गत वर्ष 2009 से 2011 में सम्भागीय अथवा सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा मोटर मार्गों पर वाहनों के निरक्षण के दौरान पायी गई अनियमितता पर कार्रवाई व परिणामों का विवरण

15–श्रीमती अमृता रावत–

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सम्भागीय परिवहन अधिकारी अथवा सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत वर्ष 2009–10 तथा वर्ष 2010–11 में जनपद के किन–किन मोटर मार्गों/ब्रांच रूटों पर किन–किन वाहनों का कब–कब आकस्मिक निरीक्षण किया गया है ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि निरीक्षण के दौरान पायी गई अनियमितताओं का विवरण तथा की गई कार्रवाई और उसके परिणामों का विवरण क्या है ?

श्री बंशीधर भगत–

सम्भागीय परिवहन अधिकारी, पौड़ी व 02 सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारियों द्वारा वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 में निम्न तालिका के अनुसार 20 मुख्य मार्गों तथा 18 ब्रांच मार्गों पर निरीक्षण किया गया है :–

क्र0सं0	मुख्य मार्ग	ब्रांच मार्ग
1	2	3
1.	पौड़ी–श्रीनगर	श्रीनगर–बुघाणी–सुमाड़ी
2.	पौड़ी–पाटीसैंण, सतपुली	पाटीसैंण–सन्तुधार–नौगावखाल
3.	पौड़ी–देवप्रयाग	देवप्रयाग–व्यासचट्टी, जामलाखाल–चराकोट
4.	कलियासौड़–कीर्तिनगर	उफल्डा–देहलचौरी मार्ग
5.	पौड़ी–थैलीसैंण	कलगडी–पिनानी–दमदेवल
6.	पौड़ी–चाकीसैंण–त्रिपालीसैंण	पौड़ी–खन्दुखाल–कर्णप्रयाग मार्ग
7.	पौड़ी–ज्वाल्पा–नौगावखाल	पाटीसैंण–एकेश्वर मार्ग

1	2	3
8.	एकेश्वर–पोखड़ा–बैजरो	चौबट्टाखाल–दमदेवल मार्ग
9.	पाबौ–पैठाणी मार्ग	कलगडी–पिनानी–दमदेवल
10.	पौडी–खिर्सू	खिर्सू–चोपिड्यू–पाबौ
11.	पौडी–पाबौ मार्ग	डांडानागराजा–बहेडाखाल
12.	पौडी–कांसखेत–कल्जीखाल	सतुपली–दुधारखाल
13.	कोटद्वार–पौडी	कोटद्वार–बल्ली
14.	कोटद्वार–लैन्सडाउन	फतेहपुर–हनुमन्ती
15.	कोटद्वार–कालागढ	दुगड्डा–डाडामण्डी
16.	कोटद्वार–लालढांग	गंगाभोगपुर–किमसार
17.	कोटद्वार–लक्ष्मणझूला वाया पौखाल	पौखाल–नत्थूखाल
18.	कोटद्वार–लैन्सडाउन वाया जहरीखाल	पौखाल–बन्चूरी
19.	कोटद्वार–रिखणीखाल वाया रतुवाढाब	
20.	कोटद्वार–रिखणीखाल वाया डेरियाखाल	

उक्त तालिका में अंकित मार्गों में टैक्सी, मैक्सी, लाइट मोटर वेहकिल, ट्रक, बस, मोटरसाइकिल, स्कूटर इत्यादि का विभिन्न तिथियों में आकस्मिक निरीक्षण किया गया है।

उक्त आकस्मिक निरीक्षण के दौरान वर्ष 2009–10 में सम्भागीय परिवहन अधिकारी, पौडी तथा सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी पौडी एवं कोटद्वार द्वारा कुल 4239 चालान किये गये जिनमें बिना परमिट संचालित 385, परमिट शर्तों के विरुद्ध 494, बिना फिटनेस संचालित 370, बिना कर 453, बिना लाइसेंस 625, प्रदूषण उत्सर्जित करने वाले 597, वाहनों में लटक कर यात्रा करने वाले 99, तेज रफ्तार 24, प्राइवेट वाहनों के व्यवसायिक प्रयोग 10, फर्स्ट एड बाक्स न होना 17, लाइट खराब होने के 180, संकेत देने पर न रुकने के 24 एवं ओवर लोड पाये जाने पर 1084 यात्री वाहनो और 186 भार वाहनों के चालानो सहित कुल 4239 वाहनो के चालान हैं। इनमें 95 चालान आर0टी0ए0, पौडी, 53 चालान आर0टी0ए0 देहरादून, 54 चालान एस0टी0ए0, उत्तराखण्ड, देहरादून एवं 395 चालान सी0जे0एम0 न्यायालय को प्रेषित किये गये तथा शेष 3642 चालानों को कार्यालय में निस्तारित करते हुए चालानों के प्रशमन से ₹ 56.51 लाख के प्रशमन शुल्क की वसूली की गयी।

वर्ष 2010–11 में सम्भागीय परिवहन अधिकारी, पौड़ी तथा सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी पौड़ी एवं कोटद्वार द्वारा कुल 5325 चालान किये गये। जिनमें से बिना परमिट संचालित 317, परमिट शर्तों के विरूद्ध 184, बिना फिटनेस संचालित 400, बिना कर 546, बिना लाइसेंस 1365, प्रदूषण उत्सर्जित करने वाले 1004, वाहनों में लटक कर यात्रा करने वाले 103, तेज रफ्तार 33, प्राइवेट वाहनो के व्यवसायिक प्रयोग 24, फर्स्ट एड बाक्स न होना 154, लाइट खराब होने के 137, संकेत देने पर न रुकने के 58 एवं ओवर लोड पाये जाने पर 806 यात्री वाहनों और 168 भार वाहनों के चालानों सहित 5325 वाहनों के चालान किये गये, जिनमें से 74 चालान कार्यवाही हेतु आर0टी0ए0 पौड़ी, 72 चालान आर0टी0ए0 देहरादून, 25 चालान एस0टी0ए0, उत्तराखण्ड देहरादून एवं 205 चालान सी0जे0एम0 के न्यायालय को प्रेषित किये गये तथा बिना परमिट संचालित 385, परमिट शर्तों के विरूद्ध 494, बिना फिटनेस संचालित 370, बिना कर 453, बिना लाइसेंस 625, प्रदूषण उत्सर्जित करने वाले 587, वाहनों में लटक कर यात्रा करने वाले 99, तेज रफ्तार 24, प्राइवेट वाहनो के व्यवसायिक प्रयोग 10, फर्स्ट एड बाक्स न होना 17, लाइट खराब होने के 160, संकेत देने पर न रुकने के 24 एवं ओवर लोड पाये जाने पर 1084 यात्री वाहनों और 186 भार वाहनों के चालान किए गए हैं। इनमें 74 चालान आर0टी0ए0, पौड़ी, 72 चालान आर0टी0ए0 देहरादून, 25 चालान एस0टी0ए0, उत्तराखण्ड, देहरादून एवं 395 चालान सी0जे0एम0 न्यायालय को प्रेषित किये गये तथा शेष 4949 चालानों को कार्यालय में निस्तारित करते हुए प्रशमन से ₹ 88.83 लाख के प्रशमन शुल्क की वसूली की गयी।

उत्तराखण्ड में चारधाम यात्रा आरम्भ होने से अब तक ब्रांच रूटों व अन्य मोटर मार्गों पर बसें न संचालित होने सम्बन्धित शिकायतों का परिवहन विभाग द्वारा जनपद तथा मार्ग वार विवरण और नियमित बस सेवा संचालन हेतु कार्यवाही और परिणाम

16–श्रीमती अमृता रावत–

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड में चारधाम यात्रा प्रारम्भ होने से अब तक इस वर्ष ब्रांच रूटो तथा अन्य मोटर मार्गों पर बस सेवाओं का संचालन न होने के सम्बन्ध में परिवहन विभाग को प्राप्त शिकायतों का जनपद तथा मार्ग–वार विवरण क्या है ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इन मार्गों पर नियमित बस सेवाओं के संचालन हेतु की गई कार्यवाही और उसके परिणामों का विवरण क्या है तथा कब तक उक्त मार्गों पर नियमित बस सेवाओं का संचालन प्रारम्भ किया जायेगा ?

श्री बंशीधर भगत–

चारधाम यात्रा प्रारम्भ होने की तिथि 01–05–2011 से अब तक ब्रांच रूटों तथा अन्य मोटर मार्गों पर बस सेवा संचालित न होने के सम्बन्ध में परिवहन विभाग को प्राप्त शिकायतों का जनपद/मार्गवार विवरण :–

जनपद का नाम	मार्ग का नाम
पौड़ी	(1) कोटद्वार–सतपुली–बाड़ियूं–बड़ेडाखाल–डांडानागराजा मार्ग (2) कोटद्वार–सतपुली–पोखड़ा–बैजरों मार्ग (3) कोटद्वार–सतपुली–बांघाट–कासखेत मार्ग (4) चौबट्टाखाल–गवाणी–नौगांवखाल–एकेश्वर मार्ग (5) पौड़ी–कोटद्वार वाया पाबल–पोखरीखेत–सीकू मार्ग
चमोली	(6) जोशीमठ से नीति मोटर मार्ग
उत्तरकाशी	(7) पुरोला–मोरी–जखोली तथा आराकोट मार्ग

क्रमांक–1 पर उल्लिखित मार्ग के सम्बन्ध में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी कोटद्वार से प्राप्त आख्यानुसार दिनांक 01 मई, 2011 से दिनांक 05–09–2011 तक सदर्भित मार्ग पर नियमित बसों का संचालन नहीं हुआ है। एवं दिनांक 06–09–2011 से वर्तमान तक नियमित संचालन है। जिन वाहन स्वामियों द्वारा यात्रा अवधि में उक्त मार्ग पर बसों का संचालन नहीं किया गया है, उनके विरुद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–86 की कार्यवाही गतिमान है।

क्रमांक–2 पर उल्लिखित मार्ग के सम्बन्ध में जनरल मैनेजर जी0एम0ओ0यू0लि0, कोटद्वार के साथ–साथ स्टेशन इंचार्ज जी0एम0ओ0यू0लि0, पौड़ी, सचिव, गढ़वाल मण्डल बहुउद्देशीय समिति पौड़ी को कार्यालय के पत्र संख्या–1696 / सा0प्र0 / 10–11 दिनांक 18–06–2011 द्वारा बस सेवा संचालन हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, पौड़ी / कोटद्वार को मार्गों का निरीक्षण कर बस संचालन की स्थिति से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया। वर्तमान में बसों का संचालन किया जा रहा है।

क्रमांक–3 पर उल्लिखित मार्ग के सम्बन्ध में जी0एम0ओ0यू0लि0 को सदर्भित मार्ग पर बसों का संचालन न किये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर बस सेवा संचालित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। वर्तमान में बसों का संचालन किया जा रहा है।

क्रमांक–4 पर उल्लिखित मार्ग के सम्बन्ध में कार्यालय पत्र संख्या–1646 / सा0प्र0 / 2011–12 दिनांक 26 मई, 2011 द्वारा जी0एम0ओ0यू0लि0, कोटद्वार को बस सेवा संचालन हेतु निर्देशित किया गया। वर्तमान में बसों का संचालन किया जा रहा है।

क्रमांक–5 पर उल्लिखित मार्ग के सम्बन्ध में जी0एम0ओ0यू0लि0 ने अपने पत्र संख्या–853 / 3–दस दिनांक 10–09–2011 के द्वारा अवगत कराया है कि अतिवृष्टि के कारण जगह–जगह पुस्ते कच्चे हैं, दुर्घटना की आशंका है। इस सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग पौड़ी को मार्ग यातायात उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

क्रमांक–6 पर उल्लिखित मार्ग के सम्बन्ध में कर्णप्रयाग कार्यालय के पत्र संख्या–1131/सा0प्रशा0–बस संचालन/11 दिनांक 18–07–2011 द्वारा जी0एम0ओ0यू0लि0, कोटद्वार/गोपेश्वर व प्रबन्धक रूपकुण्ड पर्यटन विकास समिति को उक्त मार्ग पर शीघ्र बस संचालन हेतु पत्र प्रेषित किये गये। वर्तमान में बसों का संचालन किया जा रहा है।

क्रमांक–7 पर उल्लिखित मार्ग पर वर्षा के कारण कई स्थानों पर मार्ग अवरुद्ध होने से दैनिक बस सेवा संचालित नहीं हो पा रही थी। वर्तमान में दिनांक 18–09–2011 से पुरोला–मोरी–जखोली तथा आराकोट मार्गों पर दैनिक बस सेवा का संचालन प्रारम्भ कर दिया गया है।

मसूरी में वर्ष 2006 07 में सिविल अस्पताल में आवासीय परिसरों के जीर्णोद्धार हेतु स्वीकृत धनराशि तथा सेंट मेरीज व सिविल अस्पताल में स्वीकृत रिक्त पदों के सापेक्ष नियुक्ति

17–श्री जोत सिंह गुनसोला–

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सिविल अस्पताल मसूरी में 2006–07 में स्वीकृत आवासीय परिसरों का कार्य पूर्ण कर लिया गया है ?

क्या अस्पताल की इमारत के जीर्णोद्धार के लिये सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि 3.50 करोड़ की है ? यदि हाँ, तो इस कार्य को कब तक आरम्भ किया जा रहा है ?

क्या सेंट मेरीज व सिविल अस्पताल में स्वीकृत सभी प्रकार के पदों के सापेक्ष चिकित्सक, फार्मासिस्ट, नर्स, अटेंडेंट एवं सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं ?

यदि नहीं, तो क्या सरकार इन सभी पदों पर नियुक्ति करेगी ?

श्री बंशीधर भगत–

सिविल अस्पताल (संयुक्त चिकित्सालय) मसूरी के लिए 2006–07 में कोई योजना स्वीकृत नहीं की गयी।

₹ 350.54 लाख की योजना की स्वीकृति संयुक्त चिकित्सालय भवन निर्माण के लिए प्रदान की गयी, जिसके विरुद्ध ₹ 150.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी। योजना का निर्माण पूर्व में निर्मित भवन के ध्वस्तीकरण के पश्चात किया जायेगा। ध्वस्तीकरण कार्य प्रगति पर।

जी नहीं।

जी हाँ, मानव संसाधनों की उपलब्धता पर।

प्रदेश में आयुर्वेदिक चिकित्सालयों से सम्बद्ध पंचकर्म यूनिटों की संख्या व स्वीकृत पंचकर्म सहायकों के पद पर तैनाती सुनिश्चित करने की कार्यवाही

18—श्री जोत सिंह गुनसोला—

क्या चिकित्सा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के साथ सम्बद्ध कितनी पंचकर्म यूनिटें हैं ?

इनमें से कितनी यूनिटों में पंचकर्म चिकित्सा क्रिया सम्पन्न की जाती है ?

तथा पंचकर्म हेतु कुल कितने पंचकर्म सहायकों के पद शासन द्वारा स्वीकृत किये गये है ?

क्या यह सत्य है कि पंचकर्म चिकित्सा का कार्य भृत्यों से लिया जा रहा है ?

यदि हॉ, तो सरकार कब तक पंचकर्म यूनिटों में पंचकर्म सहायकों की तैनाती सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलवीर नेगी—

प्रदेश में आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के साथ 44 पंचकर्म यूनिट सम्बद्ध हैं।

44 यूनिटों में पंचकर्म चिकित्सा क्रिया सम्पन्न की जाती है।

कुल 88 पंचकर्म सहायकों के पद स्वीकृत किये गये हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

19—श्रीमती अमृता रावत—

द्वितीय बुधवार के अतारांकित 5 में स्थाना0।

जनपद पौड़ी अन्तर्गत चौबट्टाखाल ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति व योजना का निर्माण

20—श्रीमती अमृता रावत—

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत चौबट्टाखाल ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना का प्राक्कलन स्वीकृति हेतु शासन को कब प्राप्त हुआ है ?

तथा इस योजना के निर्माण हेतु कब तक वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जायेगी और योजना पर कब तक निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ?

श्री प्रकाश पन्त–

चौबट्टाखाल ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना का प्राक्कलन (अनुमानित लागत ₹ 2319.37 लाख) दिनांक 18–03–2011 को शासन में प्राप्त हुआ है।

प्राक्कलन के तकनीकी परीक्षणोपरान्त योजना को विभागीय चयन समिति/व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित कर दिये जाने के उपरान्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होने पर ही वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जा सकेगी और तत्पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।

प्रदेश में सरकार द्वारा आयुष ग्रामों की स्थापना

21–श्री जोत सिंह गुनसोला–

क्या आयुष एवं चिकित्सा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार ने प्रदेश में आयुष ग्रामों की स्थापना का कोई निर्णय लिया है ?

यदि हाँ, तो प्रदेश में कितने आयुष ग्रामों की स्थापना की जाएगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर भगत–

जी हाँ।

प्रदेश के प्रत्येक जनपद में आयुष ग्राम स्थापित किये जाने की योजना है।

प्रश्न नहीं उठता है।

विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ललितपुर के भवन निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था को स्वीकृत धनराशि तथा निर्माण कार्यों में विलम्ब के लिये उत्तरदायी के प्रति की गई कार्रवाई का विवरण

22–श्रीमती अमृता रावत–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ललितपुर के भवन निर्माण हेतु कब कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है और इन भवनों के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था कौन है तथा कार्यदायी संस्था को स्वीकृत धनराशि कब उपलब्ध करवाई गई है और अब तक किए गए निर्माण कार्यों का विवरण क्या है तथा कब तक इन भवनों का निर्माण पूर्ण किया जायेगा ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इन भवनों के निर्माण में हुए विलम्ब के प्रति कौन उत्तरदायी है तथा उत्तरदायी के प्रति की गई कार्रवाई का विवरण क्या है ?

श्री नरेशचन्द्र ...

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ललितपुर के भवन निर्माण हेतु शासनादेश संख्या 800/XXVIII-5-2007-137/2007 दि0 30-11-07 के द्वारा ₹ 64.12 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुये ₹ 26.00 लाख की धनराशि निर्गत की गयी है। कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग है। कार्यदायी संस्था को फरवरी, 2008 में धनराशि उपलब्ध करायी गयी। अब तक डोर लेवल तक कॉलम एवं चिनाई का कार्य पूर्ण कराया गया है। भवन निर्माण कार्य को पूर्ण करने का सम्भावित लक्ष्य जनवरी 2012 है।

विलम्ब के लिए दोषी ठेकेदार से 10 प्रतिशत अर्थदण्ड की वसूली करते हुए दिनांक 08-03-10 को अनुबन्ध निरस्त कर दिया गया तथा सम्बन्धित सहायक अभियन्ता एवं कनिष्ठ अभियन्ता को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी है।

23-श्री सुरेन्द्र सिंह जीना-

द्वितीय सोमवार के अतारांकित 12 में स्थाना0।

विकास खण्ड चिन्यालीसौड की गमरी दिचली व विष्ट पट्टी की जनता को अन्य पिछडा वर्ग में सम्मिलित करने की मांग पर विचार

24-श्री केदार सिंह रावत-

क्या समाज कल्याण मंत्री अवगत हैं कि विकास खण्ड चिन्यालीसौड की गमरी दिचली व विष्ट पट्टी की जनता अन्य पिछडा वर्ग घोषित करने की मांग कर रही है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार इन तीन पट्टी के वासियों को अन्य पिछडा वर्ग में सम्मिलित करने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलवन्त सिंह भौर्याल-

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय अन्य पिछडा वर्ग आयोग भारत सरकार के पत्रांक एन0सी0बी0सी0/आर0 डब्लू/33/विविध-2005 (उत्तरांचल) दिनांक 01-12-2006 में दी गयी व्यवस्थाओं के क्रम में

उत्तराखण्ड राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की बैठक दिनांक 26–12–2010 में आयोग द्वारा प्रश्नगत क्षेत्र/पट्टियों को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने सम्बन्धी प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया है।

ब्लॉक चिन्यालीसौड़ में निर्धारित बाँध की ऊँचाई 835 आर०एल० से ऊपर स्थित परिसम्पत्तियों के क्षतिग्रस्त होने की संख्या व मुआवजा प्राप्त या अप्राप्त व्यक्तियों की संख्या।

25–श्री केदार सिंह रावत–

क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि चिन्यालीसौड़ ब्लॉक में बाँध की निर्धारित ऊँचाई 835 आर०एल० के ऊपर स्थित परिसम्पत्तिया भी क्षतिग्रस्त हो गई है ?

यदि हाँ, तो किन–किन व्यक्तियों की कितनी परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हुई ? सरकार द्वारा इनमें से कितनो व किन को मुआवजा दे दिया गया तथा कितने अवशेष हैं और क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी हाँ।

47 भवन स्वामियों की परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हुई (सूची संलग्न)।† समस्त 47 भवन स्वामियों को संलग्न सूची के अनुसार मुआवजा दिया गया है। कोई भी प्रकरण शेष नहीं है।

प्रदेश में ए०एन०एम० की जनपदवार नियुक्तियाँ किये जाने विषयक

26–श्री केदार सिंह रावत–

क्या स्वास्थ्य मंत्री अवगत हैं कि ए०एन०एम० का प्रशिक्षण जनपदवार उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर किया गया था क्या इनका चयन भी जनपदवार ही किया जायेगा ?

यदि हाँ, तो यह सत्य है कि जनपद उत्तरकाशी में दूसरे जनपदों की प्रशिक्षित 21 ए०एन०एम० की नियुक्ति कर दी गई है तथा जनपद में उपलब्ध प्रशिक्षित ए०एन०एम० अभी भी बेरोजगार है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार बाहरी जनपदों की नियुक्तियाँ रद्द कर जनपदीय ए०एन०एम० की नियुक्ति पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

(†देखिए नत्थी "क" आगे पृष्ठ संख्या 45–46 पर)

श्री नशीधर भगत–

ए0एन0एम0 के प्रशिक्षण हेतु चयन जनपदवार रिक्तियों के आधार पर किये जाने एवं प्रशिक्षणोपरान्त नियुक्ति हेतु चयन वर्षवार योग्यता क्रम में किये जाने की व्यवस्था है।

उत्तरकाशी जनपद हेतु कुल 46 ए0एन0एम0 का चयन किया गया, जिनमें से जनपद उत्तरकाशी की 25 ए0एन0एम0 श्रेष्ठता क्रम मे चयनित हुई, जनपद की शेष प्रशिक्षित ए0एन0एम0 श्रेष्ठता क्रम में न आने के कारण अन्य जनपदों की प्रशिक्षित श्रेष्ठता क्रम में आने वाली ए0एन0एम0 को जनपद उत्तरकाशी में नियुक्ति प्रदान की गई।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद पौड़ी के अन्तर्गत मोटाढाक में स्थित राजकीय ऐलोपैथिक चिकित्सालय का नाम माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा अनुसार किये जाने विषयक

27–श्री शैलेन्द्र सिंह रावत–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मा0 मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा संख्या 669/2011 दिनांक 28–05–2011 के अन्तर्गत राजकीय ऐलोपैथिक चिकित्सालय मोटाढाक कोटद्वार जनपद पौड़ी गढ़वाल का नामकरण भूमिदाता श्री उमानन्द बड़थ्वाल व श्री रमेश चन्द्र बड़थ्वाल के नाम से किये जाने की घोषणा मा0 मुख्यमंत्री द्वारा की गयी थी ?

यदि हॉं, तो सरकार इसके लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नशीधर भगत–

जी हॉं।

प्रस्ताव विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी अन्तर्गत बीरोंखाल के जिवई हाईड्रम सिंचाई योजना के संचालन हेतु शासन की कार्यवाही तथा प्रगति का विवरण

28–श्रीमती अमृता रावत–

विधान सभा के तृतीय सत्र 2008 के प्रथम गुरुवार को उत्तरित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या 28 के सन्दर्भ में क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत जिवई हाईड्रम सिंचाई योजना के संचालन हेतु अब तक की गई कार्यवाही और हुई प्रगति का विवरण क्या है।

तथा कब तक उक्त योजना का लाभ काश्तकारों को मिल जायेगा ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जनपद पौड़ी के विकास खण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत जिवई हाईड्रम सिंचाई योजना लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाये जा रहे जिवई बिरगना मोटर मार्ग के निर्माण के मलबे से क्षतिग्रस्त हुई थी। दिनांक 24–09–2011 को अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग बैजरों एवं विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक में लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता, बैजरों द्वारा अवगत कराया गया है कि अब रोड कटिंग से सिंचाई योजना में मलबा गिरना बन्द हो गया है। रोड कटिंग से गिरे मलबे से हुई क्षति का आंकलन करने हेतु दिनांक 25–09–2011 को ग्राम प्रधान, जिवई की उपस्थिति में लोक निर्माण विभाग एवं लघु सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने योजना का संयुक्त निरीक्षण किया, जिसमें हाईड्रम योजना का मुख्य चैनल हैड सहित सुरक्षा दीवार/रिटेनिंग वाल क्षतिग्रस्त होना पायी गयी। संयुक्त निरीक्षण में योजना की मरम्मत हेतु ₹ 6.25 लाख धनराशि की मांग लोक निर्माण विभाग से की गयी है, जो अभी अप्राप्त है।

योजना में हुई क्षति का ब्यौरेवार प्राक्कलन तैयार कर लोक निर्माण विभाग को प्रेषित किया गया है। लोक निर्माण विभाग से धनराशि उपलब्ध होने पर ही योजना की मरम्मत कराकर, उक्त योजना से काश्तकारों को लाभ दिलवाया जा सकेगा।

राजकीय ऐलोपैथिक चिकित्सालय बहेडाखाल पौड़ी में चिकित्साधिकारी की तैनाती किये जाने विषयक

29–श्रीमती अमृता रावत–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि तत्कालीन राज्यमंत्री चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं सूचना प्रौद्योगिकी, उत्तराखण्ड सरकार के दिनांक 09–03–2010 के पत्र द्वारा राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय बहेडाखाल, पौड़ी गढ़वाल में स्थानान्तरण सत्र के दौरान चिकित्साधिकारी की तैनाती किए जाने का आश्वासन दिया गया है ? यदि हाँ, तो क्या यह भी सत्य है कि अभी तक राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय बहेडाखाल, पौड़ी गढ़वाल में चिकित्साधिकारी की तैनाती नहीं की जा सकी है ? यदि हाँ, तो कब तक उक्त चिकित्सालय में चिकित्साधिकारी की तैनाती की जायेगी ?

श्री बलीधर भगत–

वर्तमान में राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय बहेडाखाल पौड़ी में चिकित्साधिकारी की तैनाती की जा चुकी है।

उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा देहरादून से आराकोट तक संचालित बस सेवा को टिकोची तक चलाने पर सरकार का विचार

30–श्री राजेश जुवांठा–

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड परिवहन निगम की वर्तमान में देहरादून से आराकोट तक संचालित की जा रही बस सेवा को क्या सरकार जनहित में टिकोची तक चलाने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर भगत–

जी हाँ।

वर्तमान में आराकोट मार्ग अधिक वर्षा के कारण अवरुद्ध है। मार्ग ठीक हो जाने पर बस संचालन की कार्यवाही कर दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

सिंचाई विभाग में मुख्य अभियन्ता (उत्तर) उत्तराखण्ड हल्द्वानी में एक खण्ड से दूसरे खण्ड में स्थानान्तरण के बाद कार्यभार ग्रहण करने के बाद भी पूर्व खण्ड से कार्यभार हस्तगत न होने से स्थानान्तरण आदेशों की निर्धारित समयावधि तथा आदेशों का औचित्य

31–श्री मनोज तिवारी–

क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि सिंचाई विभाग में मुख्य अभियन्ता (उत्तर) उत्तराखण्ड हल्द्वानी के क्षेत्र में एक खण्ड से दूसरे खण्ड को स्थानान्तरित हो जाने के फलस्वरूप तथा पद स्थापित खण्ड में कार्यभार ग्रहण कर लेने के बाद भी पूर्व खण्ड से सम्बन्धित कार्यभार अभी तक हस्तगत नहीं हुआ है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उपरोक्त वांछित प्रकरणों में उच्चाधिकारियों के आदेश होने के उपरान्त उनके पालन की कोई समयावधि निर्धारित है ?

यदि नहीं, तो ऐसे निरर्थक आदेश उच्चाधिकारियों से निर्गत किये जाने का क्या औचित्य है ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्त वांछित प्रकरणों में कतिपय स्थानान्तरण आदेशों में समयावधि निर्धारित थी परन्तु कुछ स्थानान्तरण आदेशों में समयावधि निर्धारित नहीं थी।

चूंकि सभी स्थानान्तरण आदेशों का अनुपालन हो चुका है। अतएव आदेश निरर्थक होने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

जनपद देहरादून अन्तर्गत अनारवाला से गढ़ीकैण्ट होते हुए आई0एस0बी0टी0 तक बस सेवा का संचालन वाया नींबूवाला, कौलागढ़ होकर करने पर विचार

32—श्री गणेश जोशी—

क्या परिवहन मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून के अन्तर्गत पौराणिक टपकेश्वर महादेव, कौलागढ़ पर्यटन एवं तीर्थाटन के उद्देश्य से अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थल है ?

क्या मंत्री जी के संज्ञान में है कि यात्रियों के लिए उपरोक्त स्थल तक आवागमन के लिए कोई उचित साधन नहीं है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित में अनारवाला से गढ़ीकैण्ट होते हुए आई0एस0बी0टी0 तक संचालित होने वाली नगर बस सेवा को वाया नींबूवाला, कौलागढ़ होकर संचालित करने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह गर्ब्याल—

जी हाँ।

टपकेश्वर महादेव मन्दिर, देहरादून नगर में कैण्ट थाने से लगभग 1.5 कि0मी0 दूरी पर स्थित है। वर्तमान में निम्नलिखित मार्गों के 33 परमिट (कैण्ट थाने से होकर) निर्गत किये गये हैं.—

1—परेड ग्राउण्ड—कैण्ट—पंपौड़ा—जैन्तुनवाला। (20 परमिट)

2—अनारवाला—थाना कैण्ट—आई0एस0बी0टी0—रिस्पनापुल—परेड ग्राउण्ड। (13 परमिट)

उपरोक्त के अतिरिक्त कौलागढ़—बल्लूपुर चौक—बल्लीवाला चौक—आई0एस0 बी0टी0—कारगी चौक—विधान सभा मार्ग के 06 परमिट मन्दिर से लगभग 02 कि0मी0 की दूरी तक जारी किये गये थे। इनमें से 04 परमिट धारकों द्वारा वाहन प्रतिस्थापित करने की आज्ञा प्राप्त की गयी है। वर्तमान में मार्ग पर 02 वाहन संचालित हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

थाना कैण्ट से नींबूवाला–कौलागढ़ होते हुए ओ०एन०जी०सी० चौक तक के मार्ग का पृष्ठांकन अनारवाला से गढ़ीकैण्ट होते हुए आई०एस०बी०टी० के लिए संचालित नगर बस सेवा के परमिटों में संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 08–10–2010 में स्वीकृत किया जा चुका है एवं उक्त मार्ग के 13 परमिटों पर पृष्ठांकन किया जा चुका है। इस पर सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

जनपद पौड़ी के संयुक्त चिकित्सालय कोटद्वार के नवनिर्माण सम्बन्धी दिनांक 06 02 11 को मुख्यमंत्री की घोषणा संख्या 118/2011 पर सरकार की कार्यवाही

33–श्री शैलेन्द्र सिंह रावत–

क्या स्वास्थ्य मंत्री अवगत हैं कि मुख्यमंत्री की घोषणा संख्या 118/2011 दिनांक 06–02––2011 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के संयुक्त चिकित्सालय कोटद्वार का नव निर्माण कार्य किये जाने की घोषणा की गई थी ? यदि हां, तो क्या सरकार संयुक्त चिकित्सालय कोटद्वार के नव निर्माण हेतु कार्यवाही कर रही है ?

यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलीधर भगत–

जी हाँ।

भवन निर्माण के प्रथम चरण के कार्यों के आगणन परीक्षणाधीन हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी के कोटद्वार अन्तर्गत जशोधरपुर हल्दूखाता नामक स्थान में मातृ शिशु केन्द्र की स्थापना सम्बन्धी दिनांक 28 05 11 को मुख्यमंत्री की घोषणा संख्या 668/2011 पर सरकार की कार्यवाही

34–श्री शैलेन्द्र सिंह रावत–

क्या स्वास्थ्य मंत्री अवगत हैं कि मा० मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा संख्या 668/2011 दिनांक 28–05–2011 के अन्तर्गत कोटद्वार जनपद पौड़ी गढ़वाल के जशोधरपुर–हल्दूखाता नामक स्थान में मातृ शिशु केन्द्र की स्थापना की घोषणा की गई थी ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार जशोधरपुर, हल्दूखाता में मातृ शिशु केन्द्र के निर्माण हेतु कार्यवाही कर रही है ?

यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेशीधर भगत–

जी हाँ। पद सृजन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

पद सृजन की कार्यवाही के उपरान्त ही वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर केन्द्र का निर्माण कराया जाता है।

जनपद पौड़ी अन्तर्गत कोटद्वार में 20 किमी0 लम्बी 4 इंच व 6 इंच की पेयजल पाइप लाइन के निर्माण सम्बन्धी दिनांक 28 05 11 को मुख्यमंत्री की घोषणा संख्या 665/2011 पर सरकार द्वारा शीघ्र धन अवमुक्त करने की कार्यवाही

35–श्री शैलेन्द्र सिंह रावत–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि मुख्यमंत्री द्वारा जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत घोषणा संख्या 665/2011 दिनांक 28–05–2011 के अन्तर्गत कोटद्वार में 20 किमी0 लम्बी 4 इंच व 6 इंच की पेयजल पाइप लाइन के निर्माण की घोषणा की गयी थी ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पेयजल पाइप लाइन हेतु शीघ्र धन अवमुक्त करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रकाश पन्त–

जी हाँ।

प्रस्ताव/आगणन परीक्षणाधीन है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला व मुनस्यारी अन्तर्गत ग्रामों में वर्ष 2009 से वर्ष 2011 तक स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के तहत स्वीकृत व अवमुक्त धनराशि द्वारा हुए कार्यों के सम्बन्ध में

36–श्री गगन सिंह रजवार–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2009–10 व 2010–11 में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के तहत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला में कितनी धनराशि स्वीकृत थी और इसमें से कितनी धनराशि खर्च हुई है ?

क्या सत्य है कि स्वीकृत पूर्ण राशि का उपयोग नहीं किया जा रहा है ?

उक्त अवधि मे योजना के तहत जनपद पिथौरागढ के विकास खण्ड धारचूला, मुनस्यारी के क्षेत्रो के किन–किन गाँवो मे कुल कितनी राशि के कार्य किये गये हैं ?

श्री बलवन्त सिंह भौर्याल–

अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत संचालित अवस्थापना सुविधाओं के विकास मद अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10 में कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। वर्ष 2010–11 में ₹ 38.46 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी।

जी नहीं।

उक्त अवधि में जिला समाज कल्याण अधिकारी, पिथौरागढ द्वारा विगत वर्षो की अवशेष धनराशि से निम्न कार्यो हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है :–

विकास खण्ड	कार्य का नाम	स्वीकृत धनराशि
मुनस्यारी		
1.	सुवालेख मे सी०सी० मार्ग	1.00
2.	नामिक में सी०सी० पुलिया निर्माण	3.00
3.	दूँगा में सी०सी० मार्ग	1.32
4.	पुरदम में सी०सी० मार्ग	1.00
धारचूला		
1.	सिर्दांग कुरीला में नाले पुलिया निर्माण	2.50
2.	सिर्दांग धनकी नाला पुलिया निर्माण	0.75
3.	सिर्दांग पलकारी में पुलिया निर्माण	0.75
4.	अनुसूचित जाति बस्ती में पेयजल योजना सिर्खा	1.34

जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत धारचूला में ए०एन०एम० सेन्टर की संख्या व वर्तमान में लम्बित नये ए०एन०एम० सेन्टर खोलने हेतु केन्द्र को प्रेषित प्रस्ताव

37–श्री गगन सिंह रजवार–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत कितने ए०एन०एम० सेन्टर हैं तथा वर्तमान मे सरकार के पास कितने नये ए०एन०एम० सेन्टर खोलने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं ?

क्या सरकार द्वारा नये ए०एन०एम० सेन्टर खोले जाने हेतु प्राप्त प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रेषित किये जा चुके है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर भगत–

विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत 48 उपकेन्द्र एवं 16 सैटेलाइट उपकेन्द्र स्थापित है। मुख्य चिकित्साधिकारी, पिथौरागढ़ द्वारा तीन अतिरिक्त उपकेन्द्र प्रस्तावित किये गये हैं (स्याकुरी, धापा एवं गर्गुवा)। स्याकुरी एवं गर्गुवा में पूर्व से ही सैटेलाइट उपकेन्द्र स्थापित हैं। धापा की जनसंख्या उपकेन्द्र स्थापना हेतु जनसंख्या मानक को पूर्ण नहीं करती है।

जी नहीं।

जनपद पिथौरागढ़ एव विधान सभा क्षेत्र धारचूला में उपकेन्द्र स्थापित करने के लिये कोई गैप शेष नहीं है।

जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत धारचूला में बालिका आश्रम पद्धति विद्यालय गोठी के भवन निर्माण के लिए केन्द्रांश की मांग हेतु भारत सरकार को प्रेषित प्रस्ताव

38–श्री गगन सिंह रजवार–

क्या समाज कल्याण मंत्री अवगत है कि जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला में बालिका आश्रम पद्धति विद्यालय गोठी के भवन निर्माण हेतु योजनान्तर्गत केन्द्रांश की मांग का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया है ?

यदि हाँ, तो क्या भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश धनराशि राज्य सरकार को प्रेषित कर दी गई है ?

यदि हाँ, तो कब ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलवन्त सिंह भौर्याल–

जी हाँ।

जी हाँ। राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय गोठी जनपद पिथौरागढ़ एवं खटीमा जनपद ऊधमसिंह नगर के भवन निर्माण हेतु आगणित धनराशि क्रमशः ₹ 490.30 लाख एवं ₹ 431.08 लाख कुल ₹ 921.38 लाख के सापेक्ष भारत सरकार के पत्र दिनांक 27–01–2011 द्वारा प्रथम किस्त में ₹ 460.69 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

स्वास्थ्य मंत्री के पत्रानुसार स0चि0 रुड़की के शव विच्छेदन गृह हेतु फ्रीजर व ए0सी0 क्रय करने की अद्यतन स्थिति

39–श्री सुरेश चन्द जैन–

क्या स्वास्थ्य मंत्री अवगत हैं कि स्वास्थ्य मंत्री को सन्दर्भित मेरे पत्र दिनांक 24–07–2011 के क्रम में महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य द्वारा पत्रांक 15/प/भण्डार/6/2011 दिनांक 18 अगस्त, 2011 द्वारा मुझे अवगत कराया गया है कि स0चि0 रुड़की के शव विच्छेदन गृह हेतु फ्रीजर एवं ए0सी0 के क्रय किये जाने की निविदा प्रक्रिया जारी है ?

क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि फ्रीजर एवं ए0सी0 क्रय हेतु की गई कार्यवाही की अद्यतन स्थिति क्या है तथा जनहित को दृष्टिगत रखते हुए चिकित्सालय को फ्रीजर एवं ए0सी0 यथाशीघ्र कब तक उपलब्ध करा दिया जायेगा ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलीधर भगत–

जी हाँ।

फ्रीजर क्रय करने की निविदा प्रक्रिया गतिमान है।

क्रय प्रक्रिया पूर्ण होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वर्ष 2008 से स्वीकृत पेयजल योजनाओं के निर्माण कार्य की प्रगति व मानकों के अनुरूप जनता को उपलब्ध पेयजल

40–श्री शेर सिंह गढ़िया–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2008 से वर्तमान तक प्रदेश के अन्तर्गत कुल कितनी पेयजल योजनाओं की स्वीकृति हुई तथा उन सभी स्वीकृत पेयजल योजनाओं के निर्माण कार्य की क्या प्रगति है ?

क्या सरकार द्वारा प्रदेश की जनता को मानकों के अनुरूप पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रकाश पन्त–

राज्य में वर्ष 2008 से अगस्त, 2011 तक कुल 2752 पेयजल योजनायें स्वीकृत की गई जिनमें से 1210 योजनायें पूर्ण हो चुकी है। 1399 योजनाओं पर कार्य चल रहा है तथा 143 योजनाओं के कार्य प्रारम्भ किये जाने हेतु निविदा आमंत्रित की गई हैं।

प्रदेश में अवस्थित कुल 63 नगरों में से 05 नगरो में मानकानुसार (135 ली0 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन) पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। 30 नगरों में 70 से 130 ली0 तथा शेष 28 नगरों में 70 ली0 से कम पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2020 तक समस्त नगरो को मानकानुसार पेयजल उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य है।

प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों की कुल आबाद 39180 बसावटो में से 29641 बस्तियो मे मानकानुसार (40 ली0 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन) पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। शेष बसावटो में विश्व बैंक सहायतित स्वैप योजनान्तर्गत मानकानुसार पेयजल उपलब्ध कराये जाने का कार्यक्रम प्रगति पर है।

जी नहीं।

वर्ष 2020 तक समस्त नगरीय क्षेत्रों तथा विश्व बैंक सहायतित स्वैप कार्यक्रम के तहत सम्पूर्ण ग्रामीण आबादी को मानकानुसार पेयजल उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

(सदन की कार्यवाही 12 बजकर 20 मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई)

(नेता प्रतिपक्ष डा0 हरक सिंह रावत को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के समस्त माननीय सदस्य ''वेल'' में बैठे थे)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

(''वेल'' में बैठे सभी माननीय सदस्य खड़े होकर नारे लगाने लगे तथा पोस्टर लहराने लगे और अपनी–अपनी बात एक साथ कहने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

किसी भी माननीय सदस्य की बात का संज्ञान न लिया जाए। मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया आसन ग्रहण करें।

(''वेल'' में खड़े सभी माननीय सदस्य पूर्ववत् नारे लगाते रहे)

(व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

नियम 300 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–300 के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्री हरिदास, श्री सुरेन्द्र राकेश तथा श्री शेर सिंह गड़िया की कुल 04 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मै इन सभी सूचनाओं को नियम–300 के अन्तर्गत स्वीकार कर रहा हूँ।

मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप मासी, जालली एवं मछोड़ (सल्ट) जनपद अल्मोडा में महाविद्यालय न खुल पाने के परिणामस्वरूप व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना।

*श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

[मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जनपद अल्मोडा के मासी, जालली एवं मछोड (सल्ट) में महाविद्यालय खोले जाने हेतु घोषणा की गयी थी। स्थानीय जनसमुदाय द्वारा इस पर अपार हर्ष व्यक्त किया गया था। परन्तु काफी समय बीत जाने के उपरान्त भी महाविद्यालयों के निर्माण हेतु कोई कार्यवाही न होने के कारण अब वहीं क्षेत्रीय जनता आन्दोलित हो रही है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए जनपद अल्मोडा के मासी, जालली एवं मछोड (सल्ट) में अविलम्ब महाविद्यालयों की स्थापना किये जाने की माँग करता हूँ।]

प्रदेश में शिक्षा विभाग में एल0टी0 अध्यापकों को एक मण्डल से दूसरे मण्डल में स्थानान्तरित होने पर सीनियरटी खत्म होने की प्रक्रिया से अध्यापकों में रोष के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना।

*श्री हरिदास–

[मान्यवर, उत्तराखण्ड प्रदेश में शिक्षा विभाग में एल0टी0 अध्यापकों को अगर एक मण्डल से दूसरे मण्डल (मण्डल परिवर्तन) में स्थानान्तरित किया जाता है तो यहां जो अध्यापक एल0टी0 सीनियर हैं, स्थानान्तरण के बाद उस अध्यापक की सीनियरटी खत्म कर दी जाती है और ऐसे सीनियर अध्यापक को भी नवनियुक्त अध्यापक की तरह ही माना जाता है। इस प्रक्रिया से उत्तराखण्ड में दोनों मण्डलों के एल0टी0 अध्यापकों में रोष व्याप्त है।

मैं सदन का ध्यान आकर्षित कर प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूँ]

नोट –[ ] यह अंश पढ़े हुए माने गये।

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हरिद्वार जनपद में ए०डी०बी० योजनान्तर्गत प्रथम चरण, तृतीय चरण एवं चतुर्थ चरण में सड़कों का चयन न किये जाने से व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना।

*श्री सुरेन्द्र राकेश–

[मान्यवर, हरिद्वार जनपद के ए०डी०बी० योजनान्तर्गत प्रथम चरण, तृतीय चरण एवं चतुर्थ चरण में सड़कें बनाने के लिए किसी भी सड़क का चयन नहीं किया गया है। यह घोर आपत्ति का विषय है। सरकार द्वारा जनपद हरिद्वार की उपेक्षा की गई है। जिससे हरिद्वार की जनता में भारी रोष उत्पन्न हो रहा है।

इसलिए आप जनता के रोष को तथा हरिद्वार की जनता की उपेक्षा रोकने के लिए निम्न सड़कों का चयन कर ए०डी०बी० योजना के अन्तर्गत बनाने की कार्यवाही करें। ये माँग करते हैं :–

(1) मेन रोड से मोजना–भजस्वा–बिनारसी–महेश्वरी–सिरचंडी–खेलपुर (लगभग 25 कि०मी०)

(2) शाहपुर से बुडियाला–भजस्वा–बालेकी–रोहालकी–भगवानपुर (लगभग 35 कि०मी०)

(3) अमसुर से सरलेडी–चुडियाला–कुंजाबहादरपुर–इकबालपुर (लगभग 15 कि०मी०)

(4) जी०टी० रोड से खुब्बनपुर–डाडा जलालपुर–हसनपुर बॉर्डर तक (उत्तराखण्ड तक) (लगभग 10 कि०मी०)]

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री शेर सिंह गढ़िया का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा 12 की उपधारा (7) के अनुसार लोक आयुक्त उत्तराखण्ड के वर्ष 2006, 2007, 2008, 2009 एवं 2010 तक का प्रतिवेदन, स्पष्टीकरण ज्ञापन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन् मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा 12 की उपधारा (7) के अनुसार लोक आयुक्त उत्तराखण्ड के वर्ष 2006, 2007, 2008, 2009 एवं 2010 तक का प्रतिवेदन, स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

नोट –[ ] यह अंश पढ़े हुए माने गये।

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड विधान सभा के वर्ष 2011 के प्रथम सत्र में उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम 300 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)—

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड विधान सभा के वर्ष 2011 के प्रथम सत्र में उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य–संचालन नियमावली, 2005 के नियम–300 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निर्देश संख्या–14(3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 90(3) के अनुसार उत्तराखण्ड सूचना प्रौद्योगिकी (परिवहन विभाग में इलैक्ट्रॉनिक रिकार्ड दाखिल, सृजित एवं जारी करने का यूजर चार्ज) नियमावली, 2011

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)—

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 90(3) के अनुसार उत्तराखण्ड सूचना प्रौद्योगिकी (परिवहन विभाग में इलैक्ट्रॉनिक रिकार्ड दाखिल, सृजित एवं जारी करने का यूजर चार्ज) नियमावली, 2011 को सदन के पटल पर रखता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2011

प्रमुख सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2011, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2011 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 29 मार्च, 2011 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2011 का पहला अधिनियम बन गया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2011

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2011, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 28 मार्च, 2011 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 30 मार्च, 2011 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2011 का दूसरा अधिनियम बन गया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई) (संशोधन) विधेयक, 2011

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई) (संशोधन) विधेयक, 2011, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 16 मार्च, 2011 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 28 मार्च, 2011 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2011 का तीसरा अधिनियम बन गया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड वन विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2011

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि उत्तराखण्ड वन विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2011, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2011 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 29 मार्च, 2011 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2011 का चौथा अधिनियम बन गया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2011

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2011, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 24 मार्च, 2011 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 30 मार्च, 2011 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2011 का पांचवां अधिनियम बन गया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

मानगीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि उत्तराखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 16 मार्च, 2011 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 30 मार्च, 2011 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2011 का छठा अधिनियम बन गया।

(मेज़ थपथपाने की आवाज़ / घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन (संशोधन) विधेयक, 2011

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन (संशोधन) विधेयक, 2011, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 24 मार्च, 2011 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 04 अप्रैल, 2011 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2011 का सातवां अधिनियम बन गया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड जल संभरण सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2011

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि उत्तराखण्ड जल संभरण सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2011, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 24 मार्च, 2011 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 04 अप्रैल, 2011 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2011 का आठवां अधिनियम बन गया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डी (विकास एवं विनियमन) विधेयक, 2011

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डी (विकास एवं विनियमन) विधेयक, 2011, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2011 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 18 अप्रैल, 2011 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2011 का नवां अधिनियम बन गया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2011

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

मानानीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2011, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 28 मार्च, 2011 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 18 अप्रैल, 2011 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2011 का दसवा अधिनियम बन गया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

मानानीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि उत्तराखण्ड राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2011 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 18 अप्रैल, 2011 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2011 का ग्यारहवा अधिनियम बन गया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड ग्राफिक एरा पर्वतीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2011

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

मानानीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि उत्तराखण्ड ग्राफिक एरा पर्वतीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2011, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 29 मार्च, 2011 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 25 अप्रैल, 2011 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2011 का बारहवा अधिनियम बन गया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

मानानीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 29 मार्च, 2011 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 25 अप्रैल, 2011 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2011 का तेरहवा अधिनियम बन गया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2011

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2011, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 29 मार्च, 2011 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 25 अप्रैल, 2011 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2011 का चौदहवां अधिनियम बन गया।

(मेजों की थपथपाहट के मध्य)

उत्तराखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2011

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि उत्तराखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2011, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 29 मार्च, 2011 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 25 अप्रैल, 2011 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2011 का पन्द्रहवां अधिनियम बन गया।

(मेजों की थपथपाहट के मध्य)

उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार (संशोधन) विधेयक, 2011

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार (संशोधन) विधेयक, 2011, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2011 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 25 अप्रैल, 2011 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2011 का सोलहवां अधिनियम बन गया।

(मेजों की थपथपाहट के मध्य)

उत्तराखण्ड कराधान तथा भू राजस्व विधि (संशोधन) विधेयक, 2011

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि उत्तराखण्ड कराधान तथा भू–राजस्व विधि (संशोधन) विधेयक, 2011, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 29 मार्च, 2011 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 25 अप्रैल, 2011 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2011 का सत्रहवां अधिनियम बन गया।

(मेजों की थपथपाहट के मध्य)

जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत ग्राम सभा माणी धामी के तोक बसानी मल्ला तिरछा में पीने के पानी की समस्या के समाधान के सम्बन्ध में याचिका

श्री गगन सिंह रजवार–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से "जनपद पिथौरागढ के विकास खण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत ग्राम सभा माणी धामी के तोक बसानी मल्ला तिरछा में पीने के पानी की समस्या के समाधान के सम्बन्ध में" श्री हीरा सिंह मेहरा, ग्राम प्रधान, माणी धामी, तहसील मुनस्यारी, जनपद पिथौरागढ एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड धारचूला की ग्राम सभा दूतीबगड़ में सिंचाई पम्पिंग योजना का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री गगन सिंह रजवार

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से "जनपद पिथौरागढ के विकास खण्ड धारचूला की ग्राम सभा दूतीबगड में सिंचाई पम्पिंग योजना का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में" श्री गणेश चन्द्र, निवासी ग्राम दूतीबगड, तहसील धारचूला, जनपद पिथौरागढ एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

("वेल" में मौजूद माननीय सदस्यगण पूर्ववत् नारे लगाते रहे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड धारचूला के अन्तर्गत ग्राम सभा बलुवाकोट का विभाजन कर दो ग्राम सभा बनाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री गगन सिंह रजवार–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद पिथौरागढ के विकास खण्ड धारचूला के अन्तर्गत ग्राम सभा बलुवाकोट का विभाजन कर दो ग्राम सभा बनाने के सम्बन्ध में" श्री हरी राम, निवासी ग्राम बलुवाकोट, तहसील धारचूला, जनपद पिथौरागढ एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद हरिद्वार के रुड़की विधान सभा के अन्तर्गत रुड़की शहर में स्थित सब्जी मण्डी की इमारत को बहुमंजिला करने/मण्डी को विकसित किये जाने के सम्बन्ध में याचिका

*श्री सुरेश चन्द्र जैन–

मानानीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद हरिद्वार के रुडकी विधान सभा के अन्तर्गत रुडकी शहर में स्थित सब्जी मण्डी की इमारत को बहुमंजिला करने/मण्डी

*सदस्य ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को विकसित किये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार, निवासी 172/2, जी सोनालीपुरम, रुड़की, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2011

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड विशेष न्यायालय विधेयक, 2011

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड विशेष न्यायालय विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड विशेष न्यायालय विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड विशेष न्यायालय विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार विधेयक, 2011

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश

श्री अध्यक्ष–

कार्य–मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 26 सितम्बर, 2011 की बैठक में दिनांक 27 सितम्बर, 2011 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :–

सितम्बर, 2011

27 (मंगलवार) (1) औपचारिक कार्य

(2) विधेयकों का पुरःस्थापना

(घोर व्यवधान के मध्य)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष जी द्वारा सदन को दी गयी है, से यह सदन सहमत है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

("वेल" में खड़े सभी माननीय सदस्य पूर्ववत् नारे लगाते रहे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–53 के अन्तर्गत पहली सूचना श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, दूसरी सूचना श्री सुरेन्द्र राकेश, तीसरी सूचना श्री शेर सिंह गढ़िया तथा चौथी सूचना श्री यशपाल बेनाम की, कुल 04 सूचनायें प्राप्त हुई है। मैं इनमें से मनरेगा कर्मियों के भुगतान के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री यशपाल बेनाम की सूचना को नियम–53 के अन्तर्गत वक्तव्य के लिए तथा वन विभाग द्वारा स्वीकृति न मिल पाने के कारण बाधित हो रही सड़क निर्माण योजनाओं के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र सिंह जीना की सूचना को नियम–53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहा हूँ। शेष सूचनायें अस्वीकार हुई।

कल 2.00 बजे अपराह्न में विधान सभा के माननीय सदस्यों का विधान सभा परिसर में फोटो सेशन होगा।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

अब मैं सदन की कार्यवाही को कल दिनांक 28–09–2011 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

(सदन की कार्यवाही 12 बजकर 42 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

देहरादून
दिनांक : 27 सितम्बर, 2011।

महेश चन्द्र,
प्रमुख सचिव,
विधान सभा।

नत्थी "क"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या–25 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या–23 पर)

श्री केदार सिंह रावत, मा० सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं0–25 के उत्तर का संलग्नक।

क्र0सं0	नाम	धनराशि
1	2	3
1.	श्री ज्योति प्रसाद सेमवाल पुत्र गोवर्धन प्रसाद	436010.00
2.	श्री मोहन लाल पुत्र गोवर्धन प्रसाद	436010.00
3.	श्री सार्दूल नेगी पुत्र रामचन्द्र नेगी	408210.00
4.	रामचन्द्र नेगी पुत्र तुलसी नेगी	598250.00
5.	श्री उपेन्द्र सिंह पुत्र विरेन्द्र सिंह	488210.00
6.	श्री सोबेन्द्र सिंह पुत्र विरेन्द्र सिंह	488210.00
7.	श्री विरेन्द्र नेगी पुत्र रामचन्द्र नेगी	1063420.00
8.	श्री दयानन्द पुत्र गोवर्धन	974300.00
9.	श्री मयंक पुत्र प्यार सिंह	380360.00
10.	श्री मनवीर चन्द्र रमोला पुत्र कीर्तिचन्द रमोला	1014340.00
11.	श्री खुशपाल सिंह पुत्र देव सिंह	487040.00
12.	श्री अमीर चन्द्र पुत्र गोपाल चन्द्र	1141740.00
13.	श्री श्याम लाल पुत्र तोता राम	1103910.00
14.	श्रीमती पवित्रादेवी पत्नी खिलानन्द	767770.00
15.	श्री चन्द्रमणी पुत्र धनानन्द	1034840.00
16.	श्री मुरारी लाल पुत्र तोता राम	1231180.00
17.	श्री त्रिभुवन चन्द भट्ट पुत्र चन्द्रमणी	382565.00
18.	श्री विजय प्रकाश पुत्र चन्द्रमणी	382565.00
19.	श्री सोहन लाल भट्ट पुत्र सत्य प्रसाद भट्ट	172448.00
20.	श्री जगन्नाथ पुत्र ऋषिराम	160820.00
21.	श्रीमती सुषमा रमोला पुत्री रमेश चन्द्र	706220.00
22.	श्री शैलेन्द्र सिंह पुत्र कुवर सिंह	420530.00
23.	श्री पुलम लाल पुत्र दर्शन लाल	115545.00
24.	श्री मोहन लाल पुत्र दर्शन लाल	115545.00
25.	श्री मारकण्डे पुत्र रामेश्वर	557780.00
26.	श्री रोशन लाल पुत्र जगदीश	253962.00
27.	श्री आदित्या पुत्र जगदीश	253962.00
28.	श्री लक्ष्मी पुत्र रघुनाथ	556105.00

1	2	3
29.	श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी प्रेम लाल	110680.00
30.	श्री तोता राम पुत्र बनवारी लाल	143910.00
31.	श्री नत्थीलाल पुत्र माया राम	1415000.00
32.	श्री रामेश्वर प्रसाद भट्ट पुत्र ऋषि राम भट्ट	375025.00
33.	श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र कुंवर सिंह	343960.00
34.	श्री विरेन्द्र सिंह पुत्र कुंवर सिंह	815050.00
35.	श्री ब्रह्मा नन्द नौटियाल पुत्र देवेश्वर प्रसाद	428710.00
36.	श्री रमेश चन्द्र पुत्र महेश्वरानन्द	863880.00
37.	श्री इन्द्र मोहन पुत्र बनवारी लाल	156380.00
38.	श्री प्यार सिंह पुत्र ईश्वरी सिंह	805690.00
39.	श्री धर्मानन्द पुत्र इन्द्रमोहन	355690.00
40.	श्रीमती संगीता पत्नी वासुदेव	1783160.00
41.	श्री भगवती प्रसाद पुत्र इन्द्रमोहन	501520.00
42.	श्री कृष्णा पुत्र इन्द्रमोहन	402300.00
43.	श्री देवेन्द्र नौटियाल पुत्र भगवती प्रसाद	301480.00
44.	श्री वासुदेव पुत्र खिजानन्द	1299170.00
45.	श्री उमेशचन्द्र पुत्र सत्य प्रसाद	172448.00
46.	श्री दिनेश चन्द्र पुत्र सत्य प्रसाद	172448.00
47.	श्री प्यार सिंह पुत्र ईश्वरी सिंह	380360.00
	योग	26962248.00

पी०एस०यू०(आर०ई०)32 विधान सभा/643–06–03 2014–200 पुस्तकें (कम्प्यूटर/रीजियो)।